निर्णय ब–इजलास डॉ. जितेन्द्र कुमार शर्मा, आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 77 / 2024 (धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम)

सरकार जरिये डॉ. कीर्ति शर्मा प्रवर्तन निरीक्षक, जयपुर प्रथम

प्रार्थी

बनाम

श्री राम शाह पुत्र श्री जगदीश शाह निवासी चांदी की टकसाल, शिमला होटल के पास, जयपुर। कार्यकर्ता मैसर्स शर्मा स्वीट कैटर्स चांदी की टकसाल, जयपुर ।

अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जब्तशुदा 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय एल.पी.जी. 18.200 किलोग्राम को राजसात करने बाबत।

उपस्थित :–

1. पैरोकार रसद प्रार्थी की ओर से।

निर्णय दिनांक 05.12.2024

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 23.09.2024 को जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम के निर्देशानुसार घरेलू गैस सिलण्डरों का वाणिज्यिक दुरूपयोग करने की सूचना प्राप्त होने पर बहमराह प्रवर्तन स्टाफ के साथ श्री राम शाह पुत्र श्री जगदीश शाह निवासी चांदी की टकसाल, शिमला होटल के पास, जयपुर के पास मैसर्स शर्मा स्वीट कैटर्स चांदी की टकसाल, जयपुर कार्यकर्ता की जांच की गई। वक्त जांच मौके पर 14.200 कि.ग्रा. क्षमता के 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बीपीसीएल कम्पनी के मय 18.200 किलोग्राम एल पी जी के पाये गये। वक्त जांच अप्रार्थी फर्म द्वारा द्वारा कचोरी समोसे बना कर ग्राहकों को परोसना पाया गया । मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। फर्म द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यक दुरूपयोग कर कालाबाजारी में सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किये जाने से जब्तशुदा घरेलू सिलेण्डर 03 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल.मय एल.पी.जी.18.200किलोग्राम को राजसात (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने एवं एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश प्रदान करने की इस्तदुआ की है।

2. प्रकरण अन्तर्गत धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। विभागीय पैरोकार के निवेदन पर जब्त सिलेण्डर की एल.पी.जी. ज्वलनशील, विस्फोटक व जनहित की वस्तु होने से धारा–6 ए (2) के तहत अन्तरिम निस्तारण के आदेश 01.10.2024 को

जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner

पारित किये जाकर जिला रसद अधिकारी जयपुर द्वितीय को निर्देशित किया गया कि जब्त सिलेण्डर्स को नियमानुसार अन्तरिम निस्तारण करा कर पालना प्रतिवेदन भिजवाये। नोटिस अप्रार्थी को जारी किये गये। अप्रार्थी बावजूद नोटिस तामील उपस्थित नहीं है जिससे उसके विरूद्व एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाती है।

3. बहस एक पक्षीय सुनी गई।

4. प्रार्थी की ओर से पैरोकार रसद ने दौराने बहस प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि वक्त जांच दुकान में 03 घरेलू गैस सिलेण्डर बी.पी.सी.एल के पाये गये है जिनसे ग्राहकों को समोसा कचोरी बना कर विक्रय की जा रही थी। फर्म मालिक/कार्यकर्ता द्वारा मौके पर गैस कनेक्शन संबंधी कोई कागजात पेश नहीं किये गये तथा कोई संतोषप्रद जवाब भी नहीं दिया गया। घरेलू गैस केन्द्र सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को वाणिज्यक दर से कम दर पर उपलब्ध कराई जाती हैं जिसका वाणिज्यक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद अप्रार्थी द्वारा घरेलू सिलेण्डर का वाणिज्यक दुरूपयोग कर कालाबाजारी कर सिलेण्डर क्रय कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया गया है जो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः जब्तशुदा 03 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल मय 18.200 कि॰ग्रा॰ एल.पी.जी को राजसात किये जाने के आदेश फरमावे।

5. विभागीय पैरोकार द्वारा की गई बहस को गौर से सुना गया। पत्रावली एवं इस पर उपलब्ध फर्द मौका जब्ती दिनांक 23.09.2022 का भलीभांति अवलोकन एवं अध्ययन किया गया।

6. अप्रार्थी की दुकान पर 03 घरेलू गैस सिलेण्डर मय 18.200 कि॰ग्रा॰ एल पी जी पाये गये है, केन्द्र सरकार द्वारा घरेलू गैस सिलेण्डर वाणिज्यक दर से कम दर पर उपलब्ध कराये जाते है जिनका वाणिज्यिक उपयोग किया जाना वर्जित है। इसके बावजूद मौके पर दुकान में समोसा कचोरी बनाते पाये गये है जिससे धरेलू गैस का व्यावसायिक उपयोग किये जाने की पुष्टि होती है। इस प्रकार अप्रार्थीगण द्वारा घरेलू गैस का वाणिज्यिक दुरूपयोग कर द्रविकृत पैट्रोलियम गैस (प्रदाय और वितरण का विनियमन) आदेश 2000 के खण्ड 3 व 7 का उल्लघंन किया जाना स्पष्ट जाहिर होता है। फलस्वरूप जब्त शुदा 03 घरेलू सिलेण्डर बी.पी.सी.एल. मय 18.200 किलोग्राम एल.पी.जी को राजसात किया जाना वाजिब समझते है।

7. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा–6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 स्वीकार किया जाता है। प्रकरण में अप्रार्थी के कब्जे से जब्त 03 घरेलू सिलेण्डर बीपीसीएल. मय 18.200 किलोग्राम एल.पी.जी को राजसात (Confiscate) किये जाने आदेश दिये जाते है।

8. निर्णय प्रति हस्ब कायदा पालनार्थ जिला रसद अधिकारी जयपुर प्रथम को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

9. निर्णय आज दिनांक **05.12.2024** को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जितेन्द्र कुमार सोनी)
जिला कलेक्टर
जयपुर

Scanned with OKEN Scanner